

NIIT Limited

85, Sector 32 Institutional Gurgaon 122 001, India Tel:+91 (124) 4293000 Fax:+91 (124) 4293333 Email: info@niit.com

Registered Office: 8, Balaji Estate, First Floor Guru Ravi Das Marg, Kalkaji New Delhi 110 019, India CIN: L74899DL1981PLC015865

www.nist.com

May 2, 2019

The Manager BSE Limited Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 The Manager
National Stock Exchange of India Ltd
Listing Department
Exchange Plaza
5th Floor, Plot no C/1, G Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Subject: Newspaper advertisement of Notice to shareholders for transfer of equity shares to IEPF

Authority

Scrip Code: BSE - 500304; NSE - NIITLTD

Dear Sir/Madam.

Pursuant to the requirement of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the notice in respect of transfer of Equity shares to Investor Education and Protection Fund Authority, published in newspapers i.e. Financial Express (English Language) and Jansatta (Regional (Hindi) Language) on May 2, 2019.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly,

For NIIT Limited

Dellah Cano

Deepak Bansal Company Secretary &

Company Secretary
Compliance Officer

L&T buys Sshort term: Tim Cook

Coffee Day Mindtree f

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, May 1

INFRATSRUCTURE MAJOR LARSEN & Toubro has purchased around 20% stake of V G Siddhartha and Coffee Day in Mindtree through block deal for about ₹3,210

According to data available at the BSE, L&T bought 3.27 crore shares held by Siddhartha and Coffee Day Trading on Tuesday.

The infrastructure major is in fray to buy up to 66% stake in the Mindtree for around ₹10,800 crore.

L&T has entered into a deal to buy Cafe Coffee Day owner Siddhartha's 20.32% stake in Mindtree and has also placed an order with brokers to pick up another 15% of the company shares from the open market for about ₹2,500 crore.

Subsequent to these deals, L&T has made an open offer to buy additional 31 per cent stake through an open offer.

Mindtree had formed a panel of independent directors to look into "unsolicited open offer" by infrastructure Accelerator in Bengaluru, Cook said the company was "very happy" with some of the things coming out of there.

"It's a long-term play. It's not something that's going to be on overnight huge business. But I think the growth potential is phenomenal," he said.

Apple established the Design and Development Accelerator in Bengaluru, the home of India's start-up scene, to support engineering talent and accelerate growth in India's iOS developer community.

With tens of thousands of developers in India making apps for iOS, the operating system for Apple products iPhone and iPad, Apple had said that the initiative would provide additional, speial sed support for them.

When asked about the

Android operating system dominating the Indian market and Apple's comparatively less market share in the country, Cook said "it doesn't bother me that it's primarily Android business at the moment because that just means there's a lot of opportunity there."

According to an April press release by market research firm Counterpoint Research, the market share of Chinese brands in the Indian smartphone market reached a record 66% during Q1 2019, and volumes for the Chinese brands grew 20% YoY mainly due to the growth of Vivo, Realme, and OPPO.

India's smartphone market is dominated by phones that run on the Android operating system such as Xiaomi and Sam-

ng in

our

had

ocal

ngle

ople

L&T hasced

deal to best

Day owope.

20.32% sree-

order wit

up ano

open mED

major L&Tarn

mendation in

₹21

company

and has ata

NIIT LIMITED

Regd. Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110019 Phone No.: +91-11- 41675000, Fax No.: +91-11-41407120 CIN: L74899DL1981PLC015865 Website: www.niit.com; Email: investors@niit.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Account, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016 and amendments made thereunder.

Pursuant to the Rules, unpaid or unclaimed dividends are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government, after completion of seven years.

Further, Equity Shares of the Company, in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Suspense Account.

The Company has already sent an individual communication to all concerned shareholders at their registered addresses informing the aforesaid provisions and to claim unpaid dividend, so as to avoid transfer of shares to IEPF Suspense Account.

The detail of such shareholders, unclaimed dividend and shares liable for transfer to IEPF Suspense Account is available on Company's website i.e. www.nlit.com.

Concerned shareholder(s) may immediately approach the Company at the co-ordinates indicated below with necessary documents supporting their dividend claim. Falling receipt of communication by July 31, 2019, the Company will proceed to transfer the dividend and/or shares, by the due dates specified by the Rules or such further extended date as may be applicable for processors compliance. be applicable, for necessary compliance.

The Unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF Suspense Account may be claimed by the concerned shareholder from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the aforementioned IEPF Rules.

procedule presides and the subject matter, you may contact Company's Investors Service For any queries on the subject matter, you may contact Company's Investors Service Department at 8, Balaji Estate, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 1100019, Phone: 011-41675000; Fax: 011-41407120, Email : investors@niit.com

For NIIT Limited Deepak Bansal Company Secretary

Place: Gurugram Date: April 30, 2019

TVS looks at ₹

FE BUREAU Chennai, May 1

TVS MOTOR COMPANY said that it would invest ₹650 crore in the current financial year towards BS VI technology, new products and capacity expansion. The company said it would post, a ensure dealers will not be burn growth in I dened with inventory due to changing emission norms with effect from April 1, 2020. The company will also better the industry's growth in current fis-

At a concall after fourth arter (O4) results, director Q2 and Q119 demand for to normal 1 uidity avail tival season challenginER towards BS

all, we exp the industr

"We als governme STRIES LIMITED

rates on the L 15412WB1918PLC002964) to 18%, where ford Street, Kolkata - 700 017

R

0: Fax: +91 33 22872501, +91 80 37687486

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बर्बादी पर चुप नहीं रहेगा भारत

वार्शिगटन, १ मई (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर वैश्विक संतुलन के 'संरक्षण' पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हर्षवर्धन शृंगला ने मंगलवार को कहा कि भारत न तो आंखें बंद करेगा और न ही इस संतुलन को बर्बाद होते हए देखेगा

अमेरिका के शीर्ष थिंक टैंक कारनेज एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक संवाद के दौरान शृंगला ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में 21वीं सदी की जमीनी हकीकत के अनुसार बदलाव करने की जरूरत है। बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अन्य बातों के अलावा अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ भारत का सहयोग 'कुछ अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित वैश्विक

संतुलन की धारणा को संरक्षित' करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हम इस वैश्विक संतुलन को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते।

संयुक्त राष्ट्र में बोले राजदूत शृंगला

• श्रृंगला ने कहा कि अमेरिका, जापान और भारत जैसे देशों का मानना है कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए 'पारदर्शी नियमों पर आधारित वैशिवक संतुलन काम कर सकता है।' भारत में वल रहे आम वुनावों के बारे में श्रुंगला ने कहा कि लोकतंत्र में विस्तार और भव्यता के मामले में यह अभूतपूर्व है।

शृंगला ने कहा कि अमेरिका, जापान और भारत जैसे देशों का मानना है कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए 'पारदर्शी नियमों पर आधारित वैश्विक संतुलन काम कर सकता है।' भारत में चल रहे आम चुनावों के बारे में शृंगला ने कहा कि लोकतंत्र में विस्तार और भव्यता के मामले में यह अभृतपूर्व है।

उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ भव्य ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता भी है।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अगले पांच साल तक देश की बागडोर किसके हाथ में होगी, यह फैसला काफी हद तक भारत की नई पीढ़ी का होगा क्योंकि देश की 70 फीसद आबादी की उम्र फिलहाल 35 वर्ष से कम है। करीब आठ से नौ करोड़ लोग पहली बार बोट डाल रहे हैं।' पाकिस्तान पर पूछे गए भारत ने अपने पड़ोसी के साथ बातचीत को किसी भी तरह का समर्थन बर्दाश्त नहीं है।

इस्लामाबाद, १ मई (भाषा)।

अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि भारत उसके यहां आतंकवाद फैलाने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। उसने कहा कि पाकिस्तान के आरोप के पक्ष में कोई सबत नहीं है।

दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों की प्रभारी विदेश उप मंत्री एलीस वेल्स ने यहां अमेरिकी दुतावास में पत्रकारों से कहा, 'आप जो कुछ कह रहे हैं, उसके संबंध में मेरे पास सबूत नहीं ै है, लेकिन हमारी नीति स्पष्ट है कि कोई भी देश राज्येतर तत्वों का समर्थन नहीं करे।'

पाकिस्तान लंबे समय से यह कहता रहा है एक सवाल के जवाब में शृंगला ने कहा कि कि भारत अशांति फैलाने के लिए कथित रूप ्से अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता हमेशा प्रधानता दी है। लेकिन आतंकवाद को है। उसने भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के मामले को अक्सर सबूत के तौर पर पेश किया

है। जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल, 2017 में मृत्युदंड सुनाया था।

पाक में अशांति फैलाने का भारत

पर आरोप गलत: अमेरिका

पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने जाधव को ईरान से कथित रूप से घुस आने

अफगानी जमीन के इस्तेमाल करने का कोई सबूत नहीं

के बाद अशांत बलूचिस्तान से तीन मार्च 2013 को गिरफ्तार किया था। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत होने के बाद जाधव ईरान में अपने कारोबार के सिलसिले में गए थे।

'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट है कि बलुचिस्तान में अशांति फैलाने में भारत की भूमिका के पाकिस्तान के आरोप पर वेल्स ने

भारत का नाम लिए बगैर कहा, 'हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय एकता एवं अखंडता को मंजूरी और सम्मान देते हैं। हम किसी अलगाववादी का समर्थन नहीं करते।' उन्होंने कहा, 'हम समझते हैं कि यह अहम है कि इस क्षेत्र के देश एक दूसरे का सम्मान करें और शांति एवं आर्थिक विकास हासिल करने के लिए काम करें।"

अमेरिकी विशेष दृत जलमय खलीलजाद की अगुआई वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल वेल्स ने कहा कि अमेरिका किसी दूसरे देश के खिलाफ आतंकवाद के किसी भी इस्तेमाल की स्वीकृति या समर्थन नहीं करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के पास पाकिस्तानी सेना के इस नवीनतम आरोप के संबंध में कोई सूचना नहीं है कि अफगान और भारत की खुफिया एजसिया कबायली क्षेत्र में पश्तुन तहपफुज मुवमेंट की आर्थिक मदद कर रही हैं।

जमानत के उल्लंघन पर असांजे को 50 सप्ताह की सजा

लंदन, 1 मई (भाषा)।

ब्रिटेन की एक अदालत ने जमानत शतों का उल्लंघन करने के मामले में विकीलीक्स के सह-संस्थापक जुलियन असांजे को बुधवार को 50 सप्ताह की सजा सुनाई।

पिछले महीने लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने 47 वर्षीय आस्ट्रेलियाई नागरिक असांजे को ब्रिटेन की जमानत अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाया था। स्वीडन में यौन उत्पीड़न के एक मामले में मिली जमानत के बाद उन्होंने इक्वेडोर के दृतावास में 2012 से शरण ले रखी थी। पिछले महीने इक्वेडोर ने और अधिक समय तक शरण देने से इनकार कर दिया था।

साउथवार्क क्राउन कोर्ट में बुधवार को सजा सुनवाई के दौरान जज डेबोराह टेलर ने कहा कि जमानत उल्लंघन का इससे ज्यादा दूसरा कोई गंभीर मामला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, 'दूतावास में छुपकर आपने जानबूझ कर ब्रिटेन में रहते हुए खुद को पहुंच से बाहर किया।' वहीं एक पत्र के माध्यम से असांज ने अदालत में कहा कि उन्होंने खुद को बेहद कठिन परिस्थितियों में पाया था और वह उन लोगों से माफी मांगते हैं जो यह सोचते हैं कि मैंने किसी तरह उनका अनादर किया।

असांजे ने कहा, 'मैंने वही किया जो मुझे समय के हिसाब से सबसे अच्छा लगा या कह लें कि मैं वही कर सकता था।' असांजे के वकील मार्क समर्स ने कहा कि विकीलीक्स में अपने काम की वजह से उनके मुव्वकिल असांजे अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने के डर से घिरे हुए थे। समर्स ने कहा, 'अमेरिका से मिल रही चेतावनियों ने बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया।' असांजे को जब जेल में ले जाया जा रहा था तो उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में मुट्टी बंद करते हुए अपने समर्थकों की तरह हाथ हिलाया। इस पर वहां बैटे लोगों ने उसी तरह हाथ हिलाया और अदालत की तरफ इशारा करते हुए शर्म करो चिल्लाया। आस्ट्रेलियाई नागरिक अब अमेरिकी संघीय षड्यंत्र से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह मामला

सरकारी गोपनीय दस्तावेजों के सबसे बड़ी लीक का है। असाजे

लाइसेंस शर्त के तहत आधी सजा काटने के बाद ही पैरोल पा सकेंगे

और यह उनके खिलाफ चलने वाले सुनवाई पर निर्भर करेगा

सार्वजनिक घोषणा (भारतीय ऋण शोध अक्षमता तथा दिवाला (स्वैच्छिक ऋणशोधन प्रक्रिया)

विनियमावली, 2017 का विनियम 14) हुवाई टेलीकॉम सर्विसेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

हवाई टेलीकॉम सर्विसेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरंट व्यक्ति के निगमन की तिथि

	E. 11.1 CHARLES TO THE STATE OF	Parameter Company
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज—दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट व्यक्ति की कार्पोरेट पहचान संख्या	यू६४२००एचआर२००७एफटीसी०३७०४३
5.	कार्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय का पता	7वीं मंजिल, टॉवर—ए, स्पेज । — टेक पार्क सोहना रोड, सेक्टर—49, गुरुग्राम, हरियाणा—122001, भारत
6.	कार्पोरेट व्यक्ति की ऋणशोध अक्षमता आरम्मन की तिथि	01.05.2019
7.	ऋणशोधक का नाम, पता, ईं-मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	श्री यशजीत बसरार पता : ए-93, गोल्फ व्यू अपार्टमेंट, सप्तपर्णी, सी. जी.एच.एस.लिमिटेड, प्लॉट सं. ४, संक्टर-19बी, हारका, नई दिल्ली, रा.स.क्षे, दिल्ली-110075 ई-मेल आईडी : ybasran@gmail.com दूरमाष सं. : 9910511994 पंजीकरण सं : आईबीबीआई / आईपीए-002 / आईपी- एन00275 / 2017-2018 / 10833
8	दावें जमा करने की अन्तिम तिथि	31.05.2019

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **हवाई टेलीकॉम सर्विसेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड** ने 01.05.2019 को स्वैच्छिक

हवाई टेलीकॉम सर्विसेज (इण्डिया) प्राइबेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर ऋणशोधक के पास 31.05.2019 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं ।

मिथ्या अथवा भ्रामक दावों के प्रमाण जमा करने पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा। यशजीत बसरार हुवाई टेलीकॉम सर्विसेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के ऋणशोधक स्थान : नई दिल्ली



प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) अचल संपत्ति के लिए

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.1.2019 जारी कर ऋणधारक मैं. एस 3 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,05,94,579.79 (रुपये चार करोड़ पांच लाख चौरानवे हजार पांच सौ उन्यासी एवं पैसे उन्यासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 29 अप्रैल, 2019 को अधोहस्ताक्षरों ने दक्त प्रतिभृति हित्त प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम S के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का

कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की ठप-धारा (S) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतक किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय

अचल संपत्ति का विवरण

ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अथेलिखित से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः

 मैं. आ-धा नेटवर्क लि., यूनिट नं. 908, 9वाँ तल, टावर बी, ग्लोबल विजनेस पार्क, ग्राम सिक-दरपुर घोशी मेहरौली, जिला गुड़गांव में स्थित बिल्डिंग- कार्यालय, माप लगभग 1932 वर्ग फीट। चौहदीः

पुर्वः पैसेज एवं प्रवेश, पश्चिमः खुला, उत्तरः खुला, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति

पोगिलीस्थारा तिथि: 24.4.2019 पुरुष प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नोएडा, मोक्टर-18 आन्धा घैक

वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है अमेरिका : पोम्पिओ

वाशिंगटन, १ मई (एएफपी)।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन संकटग्रस्त वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करने को तैयार है। पोम्पिओं ने कहा, 'राष्ट्रपति इसको लेकर पूरी तरह स्पष्ट व दृढ़ रहे हैं। सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अगर इसकी जरूरत है तो अमेरिका ऐसा करेगा।' दूसरी ओर अमेरिका रूस से अनुरोध कर रहा है कि वह बिना संघर्ष के पद छोड़ने के लिए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाए।

कई सैनिकों ने ब्राजील के दूतावास में शरण मांगी : येनेजुएला के कई सैनिकों ने ब्राजील के दुतावास में शरण मांगी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारों के कार्यालय के सूत्रों ने इसकी पृष्टि करते हुए कहा कि कई आवेदन मिले हैं। हालांकि उन्होंने संख्या स्पष्ट नहीं की। ब्राजील के मीडिया के अनुसार 25 सैनिकों ने आवेदन दिया है। ब्राजील अमेरिका सहित उन 55 देशों में शामिल है जो गृहदो को राष्ट्रपति का दर्जा दे चुके हैं। स्पेन की राजधानी

GLOBUS SPIRITS LIMITED

ISHWAR NAGAR, MATHURA BOAD, NEW DELIKI-11666

on the equity shares of the company.

Dated: 30th April, 2019

कार्परिट देनदार का नाम

निगमित / पंजीकृत है

2 | कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि

कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार

कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित

कार्पीरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान

8 कार्परिट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन

अन्तरिंग समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण

शोव अक्षमता पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण संख्या

9. बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार अन्तरिम समाधान

अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के साथ प्रयुक्त होने वाले.

किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकत प्रतिनिधि के रूप में

कार्य करने हेत् चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल

प्रोफेशनल का पता तथा ई--मेले

पत्राचार का पता तथा ई-मेल

11. दावे जमा करने की अन्तिम तिथि

14. (क) संबंधित प्रपन्न और

पर उपलब्धे है :

लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो

के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)

(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण

ऋण शोव अक्षमता समाधान प्रक्रिया समाप्त होने की 13/10/2019

and also available on BSE & NSE websile.

नीलामी सूचना के अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगे।

in terms of the Clause 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the next_meeting of

the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 07" May, 2019,

inter-alia, to consider and take on record the standatone and consolidated financial

results of the Company for the 4"Quarter and year ended on 31" March, 2019, and

to consider the recommendation of Dividend, if any, for the financial year 2018-19.

The said notice is also available on the company's websile www.globusspirits.com

रेलिगेयर हाउसिंग डेचलपमेन्ट फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. 🏩RELIGARE 🖼

पंजी. कार्यालयः २स तल, राजलोक किल्डिंग, २४ नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

ज्ञाखा कार्यालयः 1ला तल, प्रियस ग्लोबल टावर, ए-3, 4, 5, सेक्टर-125, नोएडा-201301

कृपया फाइनांसियल एक्स्प्रैस एवं जनसत्ता समाचार पत्र तिथि 24.4.2019 में प्रकाशित सार्वजनिक

नीलामी/बिकी सूचना देखें। ऋणधारक, नाम श्री रामू शर्मा (दिल्ली शाखा) की सम्पत्तियों की

नीलामी के संदर्भ में कृपया नीलामी का स्थान रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कॉर्पोरेशन

प्राधिकृत अधिकारी

मैं. रेलिगेयर हाउसिंग डेवलफ्गेन्ट फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय ऋणशोध अक्षमता तथा दिवालिया बोर्ड (कार्पोरेट व्यवितयों के लिए ऋण शोध

अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

एसोसिएटेड एप्लियांसेज लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

एसोसिएटेड एप्लियांसेज लिमिटेड

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज – दिल्ली

यु74899डीएल1994पीएलसी058528

विहार, नई दिल्ली-1100762.

सिंह नगर-262405, उत्तराखण्ड

2019 को प्राप्त हुआ)

ज्योति रंजन तरफदार

018 / 11647

पंजीकृत कार्यालय : डी–218, भूतल, सरिता

उत्पादन इकाई/फैक्ट्री : सितारगंज, प्लॉट सं.

आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2019 (आदेश 29 अप्रैल,

आईबीबीआई / पीए-001आईपी01000 / 2017-2

ए–194 / एल, ई.एस.आई.पी. सितारगंज, ऊधम

21/04/1994

लि., 1ला तल, प्रियस ग्लोबल टावर, ए-3, 4, 5, सेक्टर-125, नोएडा-201301 पहें।

For Gobus Spirits Limited

Santosh Kumar Pattanayak

(Company Secretary)

मैड्रिड में वेनेजुएला के नागरिकों ने गुइदो के समर्थन में रैली की। इस मामले में यूरोपीय संघ ने संयम बरतने की अपील की है। संघ की राजनियक फेडरिका मोगरिनी का कहना है कि ईयू वेनेजुएला के हालात पर नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि इस समस्या का सिर्फ राजनीतिक, शांतिपूर्ण और

में दंगे : सेना से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ खड़े होने की विपक्षी नेता जुआन गुइंदो की अपील के बाद मंगलवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई जिनमें 69 लोग घायल हुए हैं। वहीं, राष्ट्रपति मादुरो का कहना है कि उन्होंने तख्ता पलट के प्रयास को अभी-अभी नाकाम किया है। गुइदो हारा अपने पक्ष में सेना का बढ़ता समर्थन दिखाने के लिए बेहद सावधानी से बनाई गई योजना दंगे शुरू होने के साथ ही खटाई में पड़ गई। वहीं, मादुरो ने मंगलवार की शाम इस तख्ता पलट को नाकाम करने की घोषणा करते हुए सेना को इसके लिए बधाई दी।

लोकतांत्रिक समाधान संभव है। तख्ता पलट की कोशिश के बीच बेनेजुएला

फार्म न. आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के

नेगम कार्य मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन

नियम 30 के अनुसरण में]

आईएनसी-26

केन्द्र सरकार

नियमावली. 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में

एरीज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U72200DL2005PTC139735) जीकृत कार्यालय 139-ए, पाकेट-सी, मयूर विहार, फेज-॥, नई दिल्ली--110091

रतदहारा जनसाधारण को सूचना दी जाती

कि कम्पनी द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी। का पंजीकृत कार्यालय "एनसीटी दिल्ली" "**उत्तर प्रदेश राज्य**" में स्थानांतरित करने व संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों में कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की याचना हेत् कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के तहत एक आवेदन, केन्द्र सरकार (शक्तियां क्षेत्रीय निदेशक को प्रति निधानित) के समक्ष, प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। कोई व्यक्ति, जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित तथा आवेदन के विरोध के आधारों के उल्लेखयुक्त शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर या क्षेत्रीय निदशेक, नैगम कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को,

इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के मीतर सुपूर्व कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है और उसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके निम्नवर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भिजवाई जानी चाहिए: 139-ए, पाकेट-सी, मयूर विहार, फेज-॥. नई दिल्ली-110091

कते एवं हिते एरीज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/-संजीव कुमार

डीआईएन:00156380 दिनांकः 01.05.2019 पताः ई-71, सेक्टर-39, नोएडा-201301, उ.प्र. स्थानः दिल्ली

अनुसार राजनीतिक नेताओं को कार्यक्रमों, विशेषकर अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं।

अपरिहार्य है।

इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लि. (CIN NO. L74993UP1990PLC015721) पंजी. कार्यालयः 10.5 कि.मी. माइलस्टोन, रामपुर बरेली रोड, रामपुर-242901 (उ.प्र.) ई-मेल आईडी: info@indiantoners.com वेबसाइट: www.indiantones.com फोन नं0: 0595-2356271 फैक्स नंत: 0595-2356273

यह सूचना कंपनी एवं स्टॉक एक्सचेंज जह कंपनी के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, व वेबसाइट अर्थात www.indiantoners.com तथा www.bseindia.com क्रमशः पर उपलब्ध है।

इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए थानः नई दिल्ली एस.सी.सिंघल

तिथि: 01.05.2019 कंपनी सचिव

फार्म नं. आईएनसी-26 कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण मैं| न्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नहें दिल्ली के समक्ष था संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (नियमन) नियम,

टाइकुन कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U92111DL2000PTC106006) जेसका पंजीकल कार्यालय : **312, संत नगर, ईस्ट ऑफ** कैलाश, नई दिल्ली-110045 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता नदद्वारा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि कम्पनी ने ध्यनी अधिनिवम, 2013 की बारा 13 के तहत कम्पनी वे मोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लेए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेत् 28 मार्च, 2019 को उठयोजित बैठक में पंजीकृत धर्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** बदलने देत पारित किया गया ।

कृते टाइकून कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड रित वाधवा (निदेशक) दिनांक: 1 मई, 2019 डीआईएन: 00711845

श्रीलंका की खुफिया एजंसी ने चेताया, एक साथ यात्रा न करें नेता 800 विदेशी मौलवियों को निर्वासित करो :

कोलंबो, १ मई (भाषा)।

श्रीलंका की खुफिया एजंसी ने संभावित आतंकवादी हमलों के बारे में सूचना मिलने के बाद आने वाले कुछ सप्ताह के दौरान देश के शीर्ष नेतृत्व को एक साथ यात्रा नहीं करने की चेतावनी दी है। मीडिया रपट में बुधवार को यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें सचेत रहने की सलाह दी गई है। 'डेली मिरर' की रपट के और निलंबित पुलिस प्रमुख समेत कई शीर्ष सरकारी

गिरजाघरों, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों में शामिल होने से बचने के लिए कहा है। उन्हें सलाह दी गई है कि किसी भी स्थान पर जाने के लिए हेलिकॉप्टरों का उपयोग करें जहां उनकी उपस्थित

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुसार एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक नई दिल्ली में सोमवार, 20 मई, 2019 अप. 3:00 को आयोजित की जाएगी जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही और वार्षिक के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे

2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

यदि किसी त्यक्ति का दित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यांतय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका खारण देते हुए आपत्ति हत्तफनामा में उल्लेख करते हुए दिसमें उनके डिल/ विपक्ष के आधार हो, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म वर्ज करे या क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपीरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉन्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकत डाक ब्राग प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में 312, संत नगर, ईस्ट ऑफ फैलाश,नई दिल्ली-110045 पर इस सुवना के निर्देशक छपने के 14 (चीदह) दिनों के भीतर भेज दे ।

मेगापोलिस और पश्चिमी विकास मंत्री पाटली चंपिका रानवाका ने सरकार को उन 800 विदेशी इस्लामिक मौलिवयों को निर्वासित करने के लिए कहा है जो देशभर के मदरसों में धार्मिक शिक्षण में लगे हुए थे।

हमले की जांच रपट छह को : ईस्टर के दिन हुए आतंकवादी हमलों की जांच के लिए राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना द्वारा नियुक्त विशेष समिति छह मई को अपनी रपट जारी करेगी। समिति ने पूर्व रक्षा सचिव

स्टेशन मुख्यालय भोपाल

(म.प्र.) पिन 462001

ई-निविदा सूचना

डिजिटल हस्ताक्षर युक्त कंप्यूटरीकृत प्रारूप में ऑनलाइन निविदायें दोहरी निविदा प्रणाली के अर्न्तगत योग्य भारतीय ठेकेदारों / फर्मों से सैन्य परिक्षेत्र भोपाल में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 200 श्रमिकों द्वारा कंजरवेंशी सफाई कार्य के लिए स्टेशन मुख्यालय, भीपाल में आमंत्रित है जिसकी विस्तृत जानकारी Defence eProcurement Portal (DePP) of NIC (https://defproc.gov.in) पर उपलब्ध है। जिसका RFP No. 2312/26/Q/RFP/200/1/2019현1

आनलाईन निविदायें दिनांक 26 अप्रैल 2019 से 17 मई 2019, समय दोपहर 12.30 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यकतानुसार संशोधन / प्रतिपूरक सुधार सम्बंधी जानकारी केवल (https://defproc.gov.in) में ही प्रकाशित किया

प्रशासनिक आदेशक

रेलिगेयर हाउसिंग डेचलपमेन्ट फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. 🏥 RELIGARE 🗯 पंजी. कार्यालयः २रा तल, राजलोक बिल्डिंग, २४ नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 शाख्या कार्यालयः 1ला तल, ष्ठायस ग्लोबल टायर, ए-३, ४, ५, सेक्टर-125, नोएडा-201301

शुद्धि पत्र

कृपया फाइनांशियल एक्स्प्रैस एवं जनसत्ता समाचार पत्र तिथि 24.4.2019 में प्रकाशित सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सुचना देखें। ऋणधारक, नाम श्री रविन्दर रावल, श्री महिन्दर कुमार, श्रीमती बबीता हरदाम सिंह तथा श्री मोह. शरीफ (दिल्ली शास्त्रा) की सम्पत्तियों की नीलामी के संदर्भ में कृपया नीलामी का स्थान रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कॉपॉरेशन लि., 1ला तल, प्रियस ग्लोबल टावर, ए- 3, 4, 5, सेक्टर-125, नोएडा-201301 पहें।

नीलामी सूचना के अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगे। प्राधिकृत अधिकारी

मैं. रेलिगेयर हाउसिंग डेबलपमेन्ट फाइनांस कॉपोरेशन लिमिटेड

वाइल्ड रैबिट हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड पंजी. कार्यालयः 13, 21 तल, गहट साइड, निजापुदीन पूर्व, नई दिल्ली-110003 ई-पेल आईडी: ravina65@hotmail.com, CIN No. U55101 DL2013PTC250807

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उतरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य पंत्रालय, बी-2 किंग, 2रा तल, पर्याणरण भणन, सीजीओ कॉप्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के सपक्ष कम्पनी अधिनिवप, 2013, कम्पनी अधिनिवप 2013 की थाना 13 (4) तथा कप्पनी (निगपन) नियमाणानी, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

वाहल्ड रैबिट हॉस्मिटैलिटी आईवेट लिपिटेड जिसका पंजीकृत कार्वालयः 13, 2रा तल, राहट साइड, निजापुदीन पूर्व, नई दिल्ली- 110003 में है, के पापले में एउद्धारा आप जनता को सुचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तराखड राज्य" में उसके प्रणीकृत कार्यालय को परिभर्तित करने के लिए कपनी को सक्षम मनाने के लिए शनिभार, ७ अप्रैल, 2019 को आयोजित असाधारण आपसभा में पारित भिरोब प्रस्ताध के अनुसार कपनी के पेपोर्रेडम ऑफ

एसोसिएशन के परिभर्तन की पुष्टि के लिए कप्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अतर्गत यह कपनी केंद्र सरकार के पास आधेदन करने का प्रस्ताय करती है। कपनी के प्रजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तामित परिपर्तन से यदि किसी ध्यक्ति का हित प्रधारित होता हो, ये उसके नीचे धर्णित पत्रीकृत कार्यालय में आयेदक कपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूधना के प्रकाशन की तिथि से भीदह दिनों के भीतर अपने हिउ की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपीच क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मत्रालय, भी-२ थिए।, २रा तल, पर्याधरण भधन, सीजीओ कॉप्लीक्स, नई दिल्ली- 110003 में जमा करें या जमा कराए

या पजीकृत डाक से भेजें। कृते एवं के लिये, आवेदक वाइल्ड रेबिट हॉस्पिटैलिटी प्राईबेट लिपिटेड मंजीकृत कार्यालयः 13, 2रा तल, राइट साइड, निजापुदीन पूर्व, नई दिल्ली- 110003

तिथि- 2.5.2019 स्थान- नई दिल्ली

(रषीना अग्राणाल निदेशक DIN: 06571762

NIIT

एनआईआईटी लिमिटेड पंजी. कार्या.: 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली 110019 फोन: +91-11-41675000; फैक्स: +91-11-41407120 CIN: L74899DL1981PLC015865 वेबसाइटः http://www.nit.com; ई—मेलः investors@nit.com

प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापिसी) नियम, 2016 ("नियम") एवं इसके अधीन किये गये अनुवर्ती संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में एतदद्वारा सुचना दी जाती है। नियमों के अनुरण में, कंपनी द्वारा सात वर्षों की समाप्ति के बाद अप्रदत्त या अदावाकृत लाभाश केन्द्र सरकार

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसृषित दिनांक 7 सितम्बर, 2018 से प्रभावी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि

द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना है। इसके अलावा, कंपनी के इक्विटी शेयर जिसमें संबंध में लामांश निरंतर सात वर्षों या अधिक समय रे अदावाकत या आप्रता है. उन्हें कांपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संख्या निवि ('आईईपीएफ) उचन्त खाते में

का अंतरण रोकने के लिए संबंधित शैयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से पहले की सचना भेज दी है। ऐसे शेयरधारकों, अदावाकृत लामांश एवं आईईपीएफ उचन्त खाते में शेयरों का अंतरण से संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nit.com पर उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारक तत्काल कंपनी में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावें के लिए नीचे दर्शाये गरं

कंपनी ने उपरोक्त प्रावधानों और अदावाकृत लागांश का दावा करने और आईईपीएफ उचन्त खाते में शेयरों

को-ऑर्डिनेट्स से सम्पर्क करें। यदि 31 जुलाई, 2019 तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी नियम का अनुपालन करते हुए नियमों या ऐसी कोई लागू विस्तारित तिथि या विनिर्देशित देय तिथि तक लाभांश और / या शेयरों के अंतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। संबंधित शेयरधारकों द्वारा अदाबाकृत लानांश राशि और आईईपीएफ उचन्त खाते में अंतरित शेयरों के संबंध में उपरोक्त वर्णित आईईपीएफ नियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण

इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए आप कंपनी के निवेशक सेवा विभाग, 8 बालाजी एस्टेट, गुरू रविदास मार्ग, कालकाजी, नई दिख्ली—110019. फोन: 011-41675000 फैक्स: 011-41407120 ई—मेल: investors@nit.com से सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेश से

कृते एनआईआईटी लिमिटेड हस्ता./-दीपक बंसल कंपनी सचिव

प्रपत्र सं. आई एन सी - २६

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, २०१४ के नियम ३० के अनुसरण में] केंद्र सरकार, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १३ की उपधारा (४) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, २०१४ के नियम ३० के उपनियम (५) के क्लॉज (ए) के मामले में

गली क्र. १४, अग्गरवाल मार्केट, सब्जी मंडी रोड, मोलरबंड, एक्सटें. बदरपूर, नई दिल्ली १९००४४ भारत.....याचिकाकर्ता

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है की ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''तमीलनाडू राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने हेत् २५ एप्रिल २०१९ को आयोजित असाधारण आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के अनुसार कंपनी के मेमोरॅंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन के पृष्टिकरण के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती हैं । कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–२१ पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा इसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालयमें आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से १४ दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपधपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रिय प्रबंधक, बी-२ वींग, दसरी मंजिल, पर्यावरण 'भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-१९००३ में जमा करे या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से निम्नलिखित पर्ते पर भेजे । शॉप क्र. ६, गली क्र. १४, अग्गरवाल मार्केट, सब्जी मंडी रोड, मोलरबंड, एक्सटे. बदरपुर, नई दिल्ली ११००४४, भारत.

> आवेदक के लिए उसकी ओर से प्रिम फॅशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड अनघा अनसिंगराज्

तिथी : २९ एप्रिल,२०१९ स्थान : नई दिल्ली

नई दिल्ली

प्रिम फॅशन (इंडिया) प्राइव्हेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय शॉप क्र. ६.

निदेशक DIN 02513563

दिनांकः ३० अप्रैल, २०१९

स्थानः गुरूग्राम

के पास दावा किया जा सकता है।

ए--1 / 25, प्रथम तल, महावीर एन्कलेव, पार्ट--1, न पालम डाबरी रोड, बैंक ऑफ बड़ीदा के ऊपर, रई दिल्ली-110845 —मेल : ip.jyotiranjan@gmail.com ए-1/25, प्रथम तल, महावीर एन्कलेय, पार्ट-1. न पालम डाबरी रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, ई दिल्ली-110045

ई-मेल : aalcirp@gmail.com 13/05/2019 12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की नाम तथा वर्ग : लागू नहीं उप–धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित

(क) वेबलिक https://ibbi.gov.in/downloadform.html (ख) लागू नहीं लदुद्वारा नुचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को **मैसर्स एसोसिएटेड**

एप्सियांसेज लिमिटेड के विरुद्ध कापोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। **मैसर्स एसोसिएटेड एप्लियांसेज लिमिटेड** के लेनदारों से एतदहारा अपने दावों का प्रमाण 13 मई, 2019 को जयवा पूर्व अंतरिक समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। कितीय लेनदार प्रमाण सहित अपने दादे केवल इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार प्रमाण सहित अपने दादे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविध्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शीक्ष अक्षमता प्रोफेशनत्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि निदर्शित करेगा। किसी श्रेणी से सम्बन्धित प्रचासनात्मक लेनदार, विलीय लेनदार, विलीय लेनदार, कामगार अथवा कर्मचारी, कामगार अथवा कर्मचारी के अधिकत प्रतिनिधि तथा कोई अन्य हितधारक भारतीय ऋण शोध अश्वमता तथा दिवालिया बंडे (कार्पीरेट व्यक्तियाँ

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वितायि लेनदार, जैसा कि प्रविध्ति सं. 12 के समक्ष सुवीबद्ध हैं. प्रपन्न सीए में श्रेणी गिल के अधिकृत

हेतु ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम् 2016, जैसी रिथति हो, के विनियम 7 से 9ए के सन्दर्भ में दाये के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण सहित क्रमशः निर्देष्ट प्रपत्र स्थ. ग. गक. घ. इ तथा व के नादयम से दावे जना करेंगे। उपर्युक्त विनिवन तथा प्रासंगिक प्रपन्न भारतीय ऋण शोध अझनता तथा दिवालिया थोर्ड की वेबसाइट https://ibbi.gov.in/downloadform.html से इन्डिन किये जा सकते हैं। दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

विनोक: 01:05:2019 ज्योति रंजन तरफदार ख्थान : नई दिल्ली अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा हस्ताक्षर